

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/१०२१
दिनांक : 23/11/2020

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-975/79-वि-1-14-1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन जी०एस० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, पिलखुवा, जिला-हापुड़ को बी०ए०एम०एस० पाठ्यक्रम (100 सीट) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2019 से भाउपक्रम अवधि तक सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है।

1. संस्था निरीक्षण आख्या एवं भारत सरकार द्वारा वर्णित शर्तों को पूर्ण कर लेगी।
2. संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा बी०ए०एम०एस० में प्रवेश के माध्यम/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
4. संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा आयुष मंत्रालय रेग्युलेशन के आधार पर निर्धारित पठन दिवस के उपरान्त ही कराई जायेगी।
5. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. माननीय कार्यपरिषद के आदेशानुसार संस्थान को इस आशय के साथ अस्थाई रूप से सम्बद्धता प्रदान की गयी कि वह अगले सत्र में जब तक विश्वविद्यालय द्वारा उसको सम्बद्धता नहीं मिल जाती तब तक वह प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं करेगा।


माननीय कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक 06.08.2020 के आलोक में जी०एस० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, पिलखुवा, जिला-हापुड़ को बी०ए०एम०एस० पाठ्यक्रम (100 सीट) में उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2018 से पाठ्यक्रम अवधि तक सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव कुलपति को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सचिव, जी०एस० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, पिलखुवा, जिला-हापुड़ को सूचनार्थ।
4. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
5. प्रभारी, कमेटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
8. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल हेतु।


कुलसचिव
23/11/2020